पत्रॉक–वैट / विधि–4(1) (09–10)परिपत्र भाग–2 / 1363 / 0910067 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि अनुभाग)
लखनऊ / दिनांक / नवम्बर 25 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र सं0–वैट / विधि–4(1) (09–10)परिपत्र भाग–2 / 719 / वाणिज्य कर, दिनांक 26–8–09 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि ऐसे सिविल / विद्युत संविदाकार जिनके द्वारा शासन द्वारा जारी समाधान योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है तथा उनकी संविदायें सम्बन्धित समाधान योजना के अन्तर्गत आने के कारण उन पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि का दायित्व है । यदि ऐसे व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 34 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 2 प्रतिशत की दर से कटौती किये जाने के निर्देश निर्गत करने से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र दिया गया है और कर निर्धारण अधिकारी प्रार्थनापत्र की जांचोपरान्त यह पाते हैं कि उनकी संविदायें समाधान योग्य हैं तो ऐसे मामलों में व्यापारी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कटौती किये जाने के आदेश जारी कर दिये जायें ।

मुख्यालय पर फील्ड से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मुख्यालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 34 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्रों का निस्तारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एच0एन0राव / श्री एस0सी0द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (अपील) / कॉरपोरेट सर्किल / ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5—5 तथा 10 प्रतियां।
11. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।